अन्नदाता कहे जाने वाले किसान के घर में अपने खेत का कोई खाद्य नहीं बचा है। दूसरी ओर बाजार से खरीदने के लिए आमदनी नहीं है। अतः या तो कर्ज लेना पड़ रहा है या पलायन कर परिवार का पेट भरना ही एकमात्र विकल्प बचता है। उधर पशुओं के लिए की चारे का गंभीर संकट है। यदि वर्षा न हुई तो दो–तीन महीने में पेयजल संकट भी मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए विकट स्थिति उत्पन्न कर देगा।

ऐसी विकट स्थिति में भी रोजगार गारंटी या मनरेगा का कार्यक्रम ठप्प पड़ा है। अनेक मजदूरों को बहुत पहले की गई मजदूरी का भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आंगनवाड़ी जैसे पोषण कार्यक्रम में भी कमी आई है। किसानों व अन्य गांववासियों को गंभीर संकट का सामना करने के लिए शासन एवं प्रशासन ने अपने हाल पर छोड़ दिया गया।

एक बच्चे ने बात करने पर बताया कि वह स्कूल न जाकर जंगल में बेर बीनने जाता है ताकि पेट भर सके। डरते डरते मैंने उससे पूछा कि अंतिम बार दूध कब पिया था तो उसने कहा कोई तीन वर्ष पहले। एक गोष्ठी में मैंने कुछ किसानों से बातचीत की इसके बाद सबने एक साथ भोजन किया। भोजन में दाल–चावल था। कुछ सहमते हुए मैंने अपने साथ बैठे हुए किसान से पूछा कि क्या गांव में भी भोजन में दाल खाते हो ? तो उसने कहा कि दाल तो अब सपना है। इस पर मैंने पूछा कि इससे पहले दाल कब खाई थी तो उसने बताया कि कोई दो महीने पहले। इसके बाद उसने कहा, "यदि मैं आज यहां न आता तो शायद और न मालूम कितने ही दिन तक दाल न चख पाता।"

कुछ गांवों में पूछा कि दाल–सब्जी रहने दो। दोनों वक्त पेट भरने को रोटी कितने परिवार खा पा रहे हैं ? इस पर लोगों ने बताया कि दो–तिहाई से अधिक परिवारों को यह भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

ऐसी परिस्थिति में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सूखा व आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दुख–दर्द को दूर करने को मुख्य प्राथमिकता बनाया जाए व सरकार बड़े पैमाने पर मनरेगा व सूखा राहत से संबंधित अन्य कार्य शीघ्र आरंभ करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि इसका क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी से हो। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं व विद्याधाम समिति जैसी कुछ संस्थाओं ने इन गांवों में अनाज बैंक व भूसा बैंक स्थापित किया है जिनसे लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी मिली है। नागरिक संगठनो इस तरह के प्रयासों को को और व्यापक स्तर पर बढ़ाना चाहिए।

बुंदेलखंड से जिन क्षेत्रों में पलायन हो रहा है, उन क्षेत्रों जैसे दिल्ली आदि में सर्दी का सामना करने के लिए आश्रय उपलब्ध करवाने की बेहतर तैयारियां करनी जरूरी है। ऐसी संस्थाओं के पते व फोन नं. पलायन वाले गांवों में पहले से उपलब्ध होने चाहिए जो इन्हें आश्रय प्राप्त करने में मदद दे सकती हैं।(सप्रेस)

नोट : लेख का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि 'सर्वोदय प्रेस समिति' के नाम भेजें।